न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी जिला – धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री यशवन्त मीणा (आर0ए0एस0)

उनवानी

भगवानसिंह बनाम राज0 सरकार

1. भगवानसिंह उम्र 60 वर्ष
2. उम्मेदसिंह उम्र 50 वर्ष
3. रामनिवास उम्र 52 वर्ष

पुत्रगण नारायनसिंह जाति ठाकुर निवासीगण ग्राम पंजूपुरा तह0 बाडी जिला धौलपुर

प्रार्थीगण :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडी

अप्रार्थी :–

उपस्थित प्रार्थीगण के वकील – श्री रामजीलाल चौहान एड0

प्रार्थना पत्र तरमीम नक्शा

अन्तर्गत धारा 131 एल0आर0 एक्ट

प्रकरण सं0 :– 44 / 2022

दिनांक :– 26-9-23

आदेश

प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि आराजी ख0नं0 1285 / 2026 रकवा 06 विस्वा यानि 0.0759 हैक्टे0 बांके ग्राम पंजूपुरा तह0 बाडी के सायलान रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। जिसमें सायलान के अलावा सायलान का एक भाई रामेश्वर भी 1 / 4 हिस्से के खातेदार काश्तकार थे किन्तु एक माह पूर्व रामेश्वर लाऔलाद फौत हो गया जिसके 1 / 4 हिस्से का सायलान ने प्राप्त किया है। विवादित आराजी पर सायलान करीब 20–25 साल से खातेदार काश्तकार व मौके पर काबिज रहकर काश्त कर रहे है तथा सम्पूर्ण रकवा पर बराबर बराबर के सहखातेदार है। विवादित आराजी की सायलान ने एक माह पूर्व नापन कराई। तब तत्कालीन हल्का पटवारी ने बताया कि विवादित आराजी का रकवा जमाबन्दी में 06 विस्वा यानि 0.0759 हैक्टे0 दर्ज है परन्तु राजस्व नक्शा में 03 विस्वा के करीब आराजी है। तब पहली बार सायलान की जानकारी में आया कि विवादित आराजी का रकवा राजस्व नक्शे में गलत बना है तथा पूर्व में किसी हल्का पटवारी द्वारा सहवन से नक्शे में गलती हुई है। सायलान को पता चलने के बाद पटवारी हल्का तथा तहसीलदार बाडी से मौखिक रूप से नक्शा में तरमीम हेतु कहा परन्तु सायलान को यह कह कर मना कर दिया कि हम नक्शा में तरमीम नहीं कर सकते। आप सक्षम न्यायालय से तरमीम के आदेश लाओ।

इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि :–

विवादित आराजी ख0नं0 1285 / 2026 रकवा 06 विस्वा यानि 0.0759 हैक्टे0 बाके ग्राम पंजूपुरा तह0 बाडी के राजस्व नक्शे में सही तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान करें।

तत्पश्चात प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बाडी द्वारा न्यायालय में उपस्थित आकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दावे में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि "आराजी ख0नं0 1285/2026 रकवा 06 विस्वा(0.0759हैक्टे0) बांके ग्राम पंजूपुरा के राजस्व नक्शे में क्षेत्रफल जमाबन्दी में अंकित क्षेत्रफल से कम है। राजस्व नक्शा पंजूपुरा में आराजी ख0नं0 1285/2026 का क्षेत्रफल लगभग 04 विस्वा है। मौका व रिकार्ड के अनुसार आराजी ख0नं0 1285/2026 की नक्शे में आकृति का संशोधन आराजी ख0नं0 1285 की ओर बढाया जाना उचित है। चूंकि आराजी ख0नं0 1285/2026 की लम्बाई मौका व रिकार्ड अनुसार सही है तथा आराजी ख0नं0 1285/2026 की दक्षिणी भुजा की चौडाई मौके से 12 फुट कम है।

तत्पश्चात बहस प्रार्थीगण के वकील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एल0आर0एक्ट पर सुनी गई। हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों एवं तहसीलदार बाडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। अवलोकन के पश्चात यह तथ्य जाहिर हुआ कि प्रार्थीगण द्वारा जो तथ्य अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत किये है, वह सही है। सहवन की गलती से नक्शा अक्श में आराजी ख0नं0 1285/2026 का रकवा मौके व रिकार्ड के अनुसार कम अंकित है। जिसे प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में शुद्ध कराये जाने के अधिकारी पाये जाते है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एल0आर0एक्ट स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा अन्तर्गत धारा 131 एल0 आर0 एक्ट स्वीकार किया जाकर राजस्व नक्शा अक्श में मुताबिक वर्तमान मौके व रिकार्ड के अनुसार ख0नं0 1285/2026 रकवा 0.0759 हैक्टे सही दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान जाते है। उक्तानुसार राजस्व नक्शा अक्श में शुद्धि दर्ज किये जाने हेतु परवाना तहसीलदार बाडी को जारी हो। पत्रावली बाद तकमीलन दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाडी

उपखण्ड अधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज.